"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी 2010—फाल्गुन 6, शक 1931

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

अधिसूचना

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2010/237.—छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1), सहपठित धारा 46 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम 3 के उप-नियम (2) में वाक्य "सरपंच तथा उप-सरपंच सभी समितियों के पदेन सदस्य होंगे" को विलोपित किया जाये.

2. विद्यमान उप-नियम (3) में स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"सरपंच, सामान्य प्रशासन समिति के सभापति तथा उप-सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समितियों के सभापति होंगे. शेष स्थायी समितियों हेतु, इस प्रयोजन के लिये ग्राम पंचायत द्वारा विशेष रूप से बुलाये गये सम्मेलन में संबंधित समितियों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच में से सभापति निर्वाचित किये जाएंगे. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के सभापति के निर्वाचन के लिये आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता उस क्षेत्र के उप-खण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा की जायेगी. "

परन्तु कोई पंच एक से अधिक स्थायी समिति का सभापति नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2010/238.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2010/237, दिनांक 24-02-2010 में संशोधन बाबत अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवाशीष दास, विशेष सचिव.

Raipur, the 24th February 2010

NOTIFICATION

No./P./PGVV/22/2010/237.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with section-46 of the Chhattisgarh Panchyatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Gram Panchayat (Term of office of members of standing committee and procedure for the conduct of business) Rules, 1994, the same having been previously published as required by the sub-section (3) of the section 95 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In sub-rule (2) of rule 3, the sentence "The Sarpanch and Up-Sarpanch shall be ex-officio members of all the Committees" shall be deleted.

2. The place of existing sub-rule (3) the following sub-rule shall be substituted, namely :—
"The Sarpanch will be the Chairman of the general administration committee and the Up-Sarpanch will be the Chairman of the Education, Health and Social Welfare Committees. For the rest of the standing committees, the Chairman will be elected by the elected members of the related committees from amongst them in a convention specially organized by the Gram Panchayat for this purpose. The convention, organized for the election of the Chairman of the standing committees of the Gram Panchayat will be presided over by an officer appointed by the Sub-Divisional Officer (revenue) of that area."

Provided that any Panch will not be the Chairman of more than one standing committee.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEBASHISH DAS, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.